FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आअदालत उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू) मुकाम

किशनलाल बनाम सरकार

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र नं. 163 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
14/9/20	आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act का कार्यालय रिपोर्ट हो कर पेश हुआ। अवलोकन किया। दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार राजगढ़ से जाँच रिपोर्ट ली जाकर मिसल दिनांक 8.10.20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)	
8/10/20	वकुलाय फरीकेन उपस्थित । श्रीमान ए.सी. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है । मिसल वास्ते आईन्दा कार्यवाही दिनांक 01-12-20 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
2/12/20	दिनांक 1-12-20 को मतदान दिवस का अवकाश होने के कारण मिशल आज पेशी में ली गई।	
2/12/20	वकील पक्षकारान उपस्थित । पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव कार्य में व्यस्त है मिसल दिनांक 15-1-21 को पेश हो । (हस्ताक्षर)	
15/1/21	वकुलाय फरीकैन उपस्थित श्रीमान एस.डी.ओ.साहब मुख्यालय से बाहर हैं मिसल दिनांक 11:2:21 को पेश हों। तहसीलदार राजगढ़ से जाँच रिपोर्ट प्राप्त। शामिल मिसल रहे। (हस्ताक्षर)	
11/2/21	वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस हेतु समय चाहते हैं। मिसल वास्ते बहस दिनांक 25.2.21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
25/2/21	वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 R.T. Act व धारा 136 L.R. Act के तहत इस आशय का पेश	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्ब अहव हुक्म में ज
	किया है कि विवादित कृषि भूमि ख०न० 1166/556 तादादी 0.86 हे० रोही मौजा साखूं तहसील राजगढ़ जिला चूरु व कृषि भूमि ख० नं० 552 तादादी 1.72 हे० रोही मौजा साखूं में वादी का अशुद्ध नाम किशना पुत्र भागो दर्ज है तथा वादी के पहचान के अन्य समस्त दस्तावेज में शुद्ध नाम किशनलाल पुत्र भागूराम है। अतः जमाबन्दी में शुद्ध करने के आदेश दिए जावे। वाद से सम्बन्धित जाँच रिपोर्ट तहसीलदार राजगढ़ से प्राप्त की गई। तहसीलदार राजगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट से प्रकरण के तथ्यों की पुष्टि होती है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण में खातेदार के नाम की अशुद्धि हुई है तथा अनुतोष धारा 136 L.R. Act. के तहत आता है। अतः वाद को धारा 136 L.R. Act. के तहत पाया जाने से प्रकरण को आंशिक रूप से प्रार्थना पत्र धारा 136 L.R. Act. की हद तक स्वीकार कर विवादित कृषि भूमि ख० न० 1166/556 तादादी 0.86 हे० व ख०न० 552 तादादी 1.72 हे० रोही साखूं तहसील राजगढ़ जिला चूरु के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम किशना पुत्र भागो के स्थान पर किशनलाल पुत्र भागूराम दर्ज कर शुद्धि के आदेश दिए जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार राजगढ़ को परवाना जारी हो। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरु)	